जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 29 संख्याः 313 प्रभात उदयपुर, गुरुवार 15 सितम्बर, 2022 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रु.

पांच महीने की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की ''ब्राण्ड इमेज'' में चमक तो जरूर आयेगी

पर, यह चमक कितने दिन चलेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि, राहुल यात्रा के बाद ''क्या'' और कितना ''फॉलोअप'' कदम उठाते हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। लम्बी दूरी की ''भारत जोड़ो यात्रा'' एक ऐसी चीज़ है जिसे राहुल गांधी को काफी समय पहले कर लेना चाहिए था, कांग्रेस के लिए और खासकर खुद के लिए ताकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई ''पप्पू'' की छवि को समाप्त किया जा सके। उनके पप्पू की छवि निर्माण को सबसे मंहगे और सबसे बड़े मीडिया प्रौजेक्ट के रूप में वर्णित किया जा सकता हैं।

ब्रॉण्ड एक्सपर्ट्स और मार्केटिंग, बिजनेस तथा इमेज की दुनिया को समझने वाले लोगों और विशेषज्ञों के अनुसार एक नया ब्राण्ड ''ब्राण्ड राहुल'' बनाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को प्रयास करने होगें और इण्डिया तथा भारत की पांच माह लम्बी पैदल यात्रा के जरिए पप्पू के मिथक को चकनाचूर करने के लिए काफी मेहनत करनी पडेगी। लेकिन ब्राण्ड राहुल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यात्रा की सफलता और जनता की प्रतिक्रिया के अलावा अधिक महत्वपूर्ण है फॉलो अप एक्शन, जिसके लिए दृढ़ता निरंतरता और उद्देश्य के प्रति समर्पण भाव चाहिए।

- ब्राण्ड विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि, राहुल गांधी की ''पप्पू छवि'', बहुत मेहनत करके भाजपा के प्रचार तंत्र ने जनता के ज़हन में जमा दी है।
- इस ''इमेज'' को मिटाना इतना आसान नहीं है। इसके लिये राहुल गांधी को लगातार लगे रहना पड़ेगा और इसके लिये दृढ़ता, मेहनत के अलावा बहुत पैसा चाहिये। दृढ़ता व मेहनत तो राहुल शायद कर सकते हैं, पर मीडिया में, जैसे ट्विटर, वॉट्सअप, आदि, पर लगातार काम करने के लिये एक्सपर्ट टीम व पैसा चाहिये, टी.वी. चैनल्स, एंकर्स, रिपोर्टरों व संपादकों को अपने प्रभाव में लेना होता है, जैसा भाजपा व आप ने कर रखा है।
- भाजपा का विशेष ध्यान राहुल पर रहता है, उनकी मीडिया टीम, राहुल की छोटी सी गल्ती को ''हाई-लाइट'' करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।
- क्या राहुल इस प्रयास का जवाब दे सकेंगे। इसी पर उनके राजनीतिक जीवन की सफलता निर्भर है। यात्रा का एक विशेष लाभ जरूर होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो किनारे पर बैठे हैं, यात्रा से राहुल में उनका और अधिक विश्वास दिखेगा।

बैंगलोर की एक पी.आर.कम्पनी ''ब्रैण्डकॉम'' के संस्थापक एवं सी.ई.ओ. श्रीधर रामानुजन का मानना था किया कि यात्रा उन कई कार्यो में से एक है जो राहुल गांधी को करने चाहिए थे और उनको लेकर बनी गहरी धारणा को देखते हुए उन्हें स्वयं के लिए वह रूख अपनाना था जैसा कि वे वास्तविकता में हो सकते हैं। बैण्ड एक्सपर्ट ने कहा कि ''वे गरीबों पर ध्यान दे हे है, लेकिन शिक्षित मध्यम वर्ग की अनदेखी कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं होगी। वे और उनकी पार्टी क्या दीर्घकाल को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं हैं।

रामानुजन ने कहा कि ''लागत है राहुल गांधी अरूचि और पूर्वव्यस्ता के विकल्पों में फंसे हुए हैं और इसीलिए जब भी अवसर मिले उन्होंने लोगों से मुलाकात के दौरान अपनी अच्छी छाप छोड़ने की जरूरत है। मैं उस छाप को महसूस करता हूँ जो उनकी विचित्र प्रकृति के कारण गहराई हुई है। सिर्फ समय और गंभीर प्रयास ही उन्हें इससे छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह यात्रा उनकी छवि सुधार के लिए एक अच्छी शुरूआत है। निश्चित रूप से उन्हें एक दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है और यह उसका स्पष्ट क्रियान्वयन है।''

वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक समीक्षक माधवन नारायण की नज़र से पप्पू की छवि भाजपा द्वारा निर्मित एक मिथक है। उन्हों कहा कि ''एक छवि ही वह चीज़ है जिसे पार्टी के किसी नेता की विश्वसनीयता के रूप में मजबूत करने की जरूरत है और यदि वे उत्तर भारत के लोगों के समक्ष जन मुद्दे उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह यात्रा उनके छवि निर्माण को मजबूती प्रदान कर सकती है।''

यह तो तय है कि राहुल गांधी अपनी और कांग्रेस पार्टी की एक विशिष्ट पहचान (ब्रान्ड) बनाने का एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपनी पहचान को व्यापक बनाने के लिये विन्ध्याचल के उत्तर में, अर्थात उत्तरी भारत में उल्लेखनीय प्रभाव पैदा करना होगा। नारायण ने कहा, ''यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ब्रान्ड का मतलब केवल याद किये जाने से नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा एवं साख से भी है। इसके बावजूद कि भाजपा के पास प्रचार एवं दुष्प्रचार का एक व्यापक एवं सुदृढ़ तन्त्र है, जो उनकी हर छोटी-मोटी गलती पर झपट्टा मारता है, इसलिये उन्हें स्वयं को एक राष्ट्रीय ब्रान्ड बनाने के लिये सकारात्मक रूप में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।''

''बिज़नैस टुडे'' तथा ''बिज़नैस वर्ल्ड'' पत्रिकाओं के पूर्व सम्पादक प्रसन्नजित दत्ता ने कहा, ''इय इस बात पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गांगुली और शाह को राहत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। अपने पूर्व फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सौरव गांगुली और जय शाह को बी.सी.सी.आई के अपने पदों पर तीन और वर्षो तक कार्य करने की अनुमति दे दी। ज्ञातव्य है कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के पदाधिकारी तीन साल से ज्यादा

- सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्व फैसला पलट दिया और अब सौरव गांगुली व जय शाह तीन और वर्षों के लिए बी.सी.सी.आई. का नेतृत्व कर पायेंगे। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय दिया था कि, बी.सी.सी.आई. के पदाधिकारी सिर्फ 3 साल के लिए ही अपने पद पर बने रह सकेंगे।

अपने पद पर नहीं रह पाएंगे।

बुधवार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सौरव गांगुली और जयशाह के बी.सी.सी.आई. में अपने-अपने पदों पर बने रहने का रास्ता साफ कर दिया है।

जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़ ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया कि भारतीय क्रिकेट सफल है। न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद संभालें'

प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करने के लिये कहा गया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। राहुल गांधी का मन बदलने और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए मनाने हेतु एक और प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से कहा है कि वे राहुल गांधी से कांग्रेस की कमान संभाल ले व अध्यक्ष पद स्वीकार करने का आग्रह करने के लिए प्रस्ताव पारित करें। आज सभी पी.आर.ओ. की मीटिंग हुई जिसमें उन्हें उन पी.सी.सी. सदस्यों की लिस्ट दी गई जो वोट देंगे।

राहुल गांधी ने इंकार किया पर सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने अभी हार नहीं मानी है और वे चाहती है कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालें।

यह निर्णय ऐसे कई नेताओं के मनमाफिक हैं जो राहुल गांधी के नाम पर दुकान चला रहे हैं और राहुल गांधी के नाम या पार्टी चलाते हैं।

समझा जाता है कि यह स्थिति अशोक गहलोत के भी अनुकूल है जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राहुल गांधी तो अडिग हैं, अध्यक्ष पद न संभालने के निर्णय पर, सोनिया गांधी ने हार नहीं मानी है तथा यह राहुल को अध्यक्ष बनवाने के प्रयास की अंतिम कोशिश है।
- अशोक गहलोत का खेमा इस प्रयास से आल्हादित है, क्योंकि इससे गहलोत की, कार्यकाल पूर्ण होने तक मु.मंत्री बने रहने की इच्छा पूरी होने की संभावना बनती है।
- पर, राहुल गांधी अभी दृढ़ संकल्पित हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष पद न संभालने के निर्णय के बारे में। अतः गहलोत खेमे का आशावाद ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पायेगा।

भाजपा के 46 लोकसभा सांसद व राज्यसभा के 7 सदस्य एस.सी. वर्ग के हैं

इस वर्ग पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिये भाजपा व्यापक प्रोग्राम शुरू कर रही है, प्र.मंत्री के जन्मदिन से

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। भाजपा के राष्ट्रीय नेता जहां राहुल गांधी की ''भारत जोड़ो यात्रा'' पर छिद्रान्वेषी नज़र रखे हुये हैं, वही पार्टी के रणनीतिकार 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के अन्तर्गत अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुसूचित जाति मतदाताओं तक पहुँचने तथा उनसे सम्पर्क साधने की दिशा में सक्रिय एवं प्रेरित-प्रोत्साहित कर रहे हैं।

एस.सी. वोटरों को आकर्षित करने के उद्देश्य से चलाये गये विशाल सम्पर्क अभियान के अन्तर्गत, भाजपा ने एक ''प्रवास'' अभियान शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत, पार्टी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर, दलित समुदाय के लिये लाई गई मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं विषय में

- छोटी-छोटी कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाकर भाजपा एस.सी. बाहुल्य क्षेत्रों में ''प्रवास'' कार्यक्रम चलाएगी।
- जैसा कि विदित ही है कि, प. बंगाल के विधानसभा चुनाव में 50 प्रतिशत एस.सी. वोट भाजपा के पक्ष में पड़ा था तथा यू.पी. में विधानसभा चुनाव में एस.सी. वोटर बसपा का साथ छोड़ कर भाजपा से जुड़ा था।
- भाजपा का यह ''टोली'' कार्यक्रम प्र.मंत्री के जन्मदिन, 17 सितम्बर से शुरू होकर 26 नवम्बर (संविधान दिवस) तक चलेगा।

जागरूकता पैदा करेंगे। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्म दिन, 17 सितम्बर से शुरू होगा तथा संविधान दिवस यानी 26 नवम्बर तथा जारी रहेगा।

प्रसंगवश बता दें कि विपक्षी कांग्रेस यह उम्मीद सँजोये हुये है कि एस.सी. तथा एस.टी. जातियों के बीच पार्टी के पूर्ववर्ती स्वीकार्यता को वापस लाकर अपने भविष्य को पुनर्जीवन प्रदान करेगी।

भाजपा नेताओं ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत, छोटी-छोटी ''टोलियाँ'' बनाई जायेंगी तथा उन टोलियों को एक फोल्डर दिया जायेगा, जिसमें एस.सी. समुदाय के कल्याण के लिये क्रियान्वित की जा रहीं राज्य तथा केन्द्र की योजना का विस्तृत विवरण होगा। भाजपा के पास इस समय एस.सी. समुदाय के 46 लोकसभा सांसद तथा 7 राज्यसभा सांसद हैं। हाल ही के वर्षो में, इस समुदाय में भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ी है, जैसा कि गत वर्ष हुये पश्चिम बंगाल के चुनावों में प्रदर्शित हुआ है। पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनावों में 50 प्रतिशत एस.सी.वोट भाजपा को मिले थे। इस साल हुये, उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में, एस.सी. मतदाताओं का काफी बड़ा हिस्सा बसपा से दूर हो गया था तथा उसने भाजपा को वोट दिये थे। जाहिर है, 2024 के संसदीय चुनावों से पहले, पार्टी एस.सी. समुदाय के इस समर्थन को और अधिक व्यापक रूप में लाना चाहती हैं। एस.सी. वर्ग के महापुरूषों के प्रति सम्मान दर्शाने वाले पर्चे तथा पुस्तिकाएं दलित बस्तियों में बाँटी जायेंगी। इसके साथ ही,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'रिज़र्ववेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है'

आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण व्यक्तियों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण देने पर बहस काफी तेज तर्रार हुई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली संविधान बैंच इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन्स (ई.डब्ल्यु.एस.) को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगी क्योंकि वह बुधवार को दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर अनिर्णायक स्थिति में रही।

सीनियर एडवोकेट पी. विल्सन, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होने के बाद खड़े हो गए। वह गुरुवार को भी अपना निवेदन जारी रखेंगे। उन्होंने सुनवाई की शुरुआत में विलियम ए को उद्धृत किया ''शेर और बैल के लिए एक जैसा कानून दमन है।'' उन्होंने कहा कि एक ओर तो एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. आरक्षण ओर दूसरी ओर ई.डब्ल्यू.एस.

- इस आरक्षण के विरोध में सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता विलसन, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ने काफी गंभीर व विश्लेषणात्मक पैरवी की।

आरक्षण के बारे में उन्हें यही कहना है।

सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जिन्होंने पूर्व में जिरह की, तर्क प्रस्तुत किया कि ई.डब्ल्यू.एस. कोटा गठित करने के बजाए आर्थिक कमजोरी के मुद्दे के समाधान के और भी कई तरीके हैं। उन्होंने आरक्षण पर भारतीय नीति को पढ़कर सुनाया और जोर देकर कहा कि आरक्षण भारत में सकारात्मक कार्रवाई का हिस्सा है और ई.डब्ल्यू.एस. कोटे के लिए किया गया 103वां, संशोधन इस मापदण्ड को पूरा नहीं करता।

विल्सन ने तर्क दिया कि ऊंची जातियों को आरक्षण देने के लिए किया गया संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन है और सकारात्मक कार्रवाई के विचार का मखौल है क्योंकि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि ई.डब्ल्यू.एस. का वर्गीकरण ना तो तर्कसंगत है और ना ही वैध।

उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक संशोधन एक अध्यादेश के जरिए वर्ष 2016 में गुजरात में लाया गया था और गुजरात हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। दयाराम वर्मा द्वारा दायर याचिका का जिक्र करते हुए विल्सन ने कहा कि स्पष्ट है कि आर्थिक मापदण्ड आरक्षण के उद्देश्य के लिए एकमात्र मापदण्ड नहीं हो सकता और महत्वपूर्ण यह है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

विल्सन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में भी आर्थिक मापदण्ड के आधार पर किसी समूह को चिन्हित करने से इंकार कर दिया था। उन्होंने अशोक कुमार केस में संविधान बैंच के एक निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें बैंच कहती है कि ''क्रीमी लेयर नहीं हटाना और अगड़ी जातियों को शामिल करना समानता का उल्लंघन है।''

यह ध्यान दिलाते हुए कि अनुच्छेद 15(6) में ई.डब्ल्यू.एस. परिभाषित नहीं हैं, उन्होंने कहा कि इसमें यह निर्णय करने का अधिकार पूर्ण रूप से सरकार पर छोड़ दिया गया है कि ई.डब्ल्यू.एस. कौन होंगे और इसका निर्णय समय-समय पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नागराज के निर्देशित सिद्धांत का तिरस्कार है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का कार्डधारकों को अपने कार्ड्स का टोकनाइज़ेशन कराने हेतु प्रोत्साहन

कार्डधारकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने आदेश दिया है कि 1 अक्तूबर 2022 से कार्ड नेटवर्क्स तथा कार्ड जारीकर्ताओं को छोड़कर, कोई दूसरी इकाइयां कार्ड डेटा जैसे कि कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी की तिथि आदि (कार्ड-ऑन-फाइल या CoF) को स्टोर नहीं कर सकती हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्डधारकों को कोई असुविधा न हो, आरबीआई ने CoF टोकनाइज़ेशन पेश किया है। टोकनाइज़ेशन इसलिए किया जाता है ताकि कार्डधारक को प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर कार्ड के विवरण न भरने पड़ें, साथ ही, मर्चेन्ट कार्ड के विवरण को स्टोर या उनका इस्तेमाल न कर सके, जिसके फलस्वरूप कार्ड के विवरणों के खोने की संभावना तथा उससे जुड़े दुरुपयोग से बचा जा सकता है। टोकन का इस्तेमाल कार्ड ट्रांजेक्शन्स की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाता है तथा यह कार्डधारकों के हित में है।

टोकनाइज़ेशन या कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकनाइज़ेशन क्या है?

1. टोकनाइज़ेशन (या CoF टोकनाइज़ेशन) कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है।
2. टोकनाइज़ेशन डेबिट या क्रेडिट कार्ड के विवरण को एक अनोखे वैकल्पिक कोड, जिसे **''टोकन''** कहते हैं, से बदलने की प्रक्रिया है।
3. टोकनाइज़ेशन केवल ऑनलाइन/ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए विनिर्धारित किया गया है और यह आमने-सामने या पॉइन्ट ऑफ सेल (POS) ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं है।
4. टोकनाइज़ेशन प्रत्येक कार्ड के लिए ऑनलाइन/ई-कॉमर्स मर्चेन्ट के यहां केवल एक बार ही करने की ज़रूरत है। कार्ड विशेष तथा ऑनलाइन/ई-कॉमर्स मर्चेन्ट विशेष के लिए प्रत्येक टोकन अलग होता है। कार्डधारक किसी कार्ड का अनगिनत ऑनलाइन/ ई-कॉमर्स मर्चेन्ट्स के साथ टोकनाइज़ेशन करा सकता है।
5. किसी टोकन का इस्तेमाल उसी मर्चेन्ट को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए उसे बनाया गया हो, न कि किसी और मर्चेन्ट को भुगतान करने के लिए।
6. एक बार टोकन बनाने के बाद, कार्डधारक को भविष्य के ट्रांजेक्शन्स के लिए टोकन का विवरण एंटर करने या याद रखने की जरूरत नहीं। टोकनाइज़्ड कार्ड की पहचान के लिए, चेकआउट प्रक्रिया के दौरान कार्ड के अंतिम चार अंकों को डिस्प्ले/प्रदर्शित किया जाएगा।
7. कार्डधारक अपनी इच्छानुसार अपने टोकन्स के रजिस्ट्रेशन को समाप्त भी कर सकते हैं।

किसी कार्ड का टोकनाइज़ेशन कैसे करें?

1. टोकनाइज़ेशन का विकल्प चुनने के लिए कार्डधारक को मर्चेन्ट वेबसाइट एप्लिकेशन पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा।
2. रजिस्टर करने के लिए कार्डधारक को अपने कार्ड का विवरण भरना होगा तथा सहमति देनी होगी। कार्ड जारीकर्ता प्रमाणीकरण के अतिरिक्त घटक जैसे कि OTP के ज़रिए इस सहमति को मान्य करेगा।

कार्डधारकों को एक सुरक्षित, संरक्षित, बाधारहित तथा सुविधाजनक अनुभव पाने के लिए अपने कार्ड्स का टोकनाइज़ेशन कराने की सलाह दी जाती है।

इस परामर्शिका (एडवाइज़री) को आरबीआई द्वारा केवल सूचनार्थ तथा सामान्य मार्गदर्शन के लिए जारी किया गया है। किसी स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए, आरबीआई द्वारा जारी संबंधित परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं की मदद ली जा सकती है।